न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या-2 बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : मिनाक्षी मीणा
विशिष्ट सेशन प्रकरण संख्या : 43/2018
एफ. आई.आर. संख्या : 230/2017 थाना इन्द्रगढ़, जिला-बून्दी

आरोप अन्तर्गत धारा-8/20 स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधि0, 1985

निर्णय दिनांक 10-04-2026

शिकायतकर्ता	राजस्थान राज्य
उपस्थित	अपर लोक अभियोजक श्री महेन्द्र कुमार शर्मा
अभियुक्तगण	महावीर पुत्र केसरीलाल, निवासी-ग्राम कोटा रोड इटावा, कोटा ग्रामीण जिला-कोटा (राज0)
उपस्थित	श्री ओराक नैय्यर, अधिवक्ता-अभियुक्त.

संदर्भित तारीखों का विवरण

घटना की तारीख	21/11/17
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	21/11/17
चार्जशीट पेश होने की तारीख	29/01/18
आरोप विरचित किये जाने की तारीख	16/04/18
अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ होने की तारीख	27/05/22
निर्णय सुरक्षित रखने की तारीख	
निर्णय तारीख	10/04/26
दण्डादेश की तारीख	10/04/26

मुलजिम/मुलजिमान की सूचना

क्र.सं सं .	मुलजिम का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत की तारीख	आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा	बरी या दोषसिद्ध	अधिरोपित दण्ड	विचारण के दौरान भुगती गई निरोध की अवधि
1	महावीर	12/30/99	22/12/17	8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट	निर्णयनुसार	निर्णयानुसार	दि. 21/11/17 से दि. 22/12/17 तक

<u>नि र्ण य</u>

<u>दिनांक : 10 अप्रेल, 2026</u>

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त रूप से इस प्रकार से है कि दिनांक 21.11.2017 को श्रीकृष्ण गढ़वाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना इन्द्रगढ मय जाप्ता जीप के मय अनुसंधान बॉक्स के थाने से वास्ते गश्त इलाका एवं अवैध कार्यों की रोकथाम हेतु से रवाना होकर गश्त करता हुआ चम्बल नदी की तरफ जाने वाले किशनपुरिया रोड़ पर पहुँचे तो एक लम्बा पतला युवक एक प्लास्टिक का कट्टा (थैला) लेकर आता हुआ दिखाई दिया जो अचानक पुलिस की जीप एवं जाप्ता को देखकर वापस नदी की तरफ तेज कदमों से चलने लगा, जिस पर सन्देह होने पर जाप्ता की मदद से रोका और इस तरह पुलिस को अचानक देखकर वापस जाने का कारण पूछा तो कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाया। रोके गए व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम महाबीर पारेता होना बताया। महावीर पारेता के पास कोई आपत्तिजनक बस्तु अवैध हथियार अथवा मादक होने का सन्देह होने पर उसकी व उसके पास प्लास्टिक के कट्टे की तलाशी हेतु स्वतंत्र गवाह तलब किये तो कोई गवाह नहीं मिला, इस पर हमराही जाप्ता में से लक्ष्मणसिंह हैड कानि. 87 व जेठाराम कानि. 519 गवाह मामूर कर थानाधिकारी व गवाहान की आपस में तलाशी की कार्यवाही के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने की संतुष्टि के बाद मुल्जिम महावीर पारेता को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस देकर उसकी तलाशी ली तो महावीर पारेता के दांये हाथ में प्लास्टिक के कट्टे (थैले) मिला जिसको खोला व चैक किया गया तो उसमें एक सिल्ली आयताकार मिली जिस पर भूरे रंग की प्लास्टिक की पैकिंग टेप लिपटी हुई मिली। इस सिल्ली की टेप को हटाकर देखा तो उसमें गहरे हरे रंग का गाँजा मिला जिसे थानाधिकारी इन्द्रगढ ने गवाहान को सुंचाया एवं परखाया तो सभी ने अवैध मादक पदार्थ गाँजा होना बताया। महाबीर पारेता से इस पदार्थ के बारे में पूछा गया तो गांजा होना बताया। महावीर पारेता से अपने कब्जे में गाँजा रखने बाबत् लाईसेन्स मांगा तो महाबीर ने कोई लाईसेन्स नहीं होना बताया। इस प्रकार महावीर पारेता द्वारा अपने कब्जे में अवैध मादक पदार्थ गाँजा रखने पर धारा 8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट का दण्डनीय अपराध कारित करने पर महावीर के कब्जे में मिली गाँजे की सिल्ली का अनुसंधान बॉक्स से इलेक्ट्रोनिक तराजू से बजन किया तो पैकिंग सहित गांजे की सिल्ली का कुल वजन 5 किलो 150 ग्राम हुआ। गांजे की सिल्ली की पैकिंग हटाकर वजन किया तो गाँजे का शुद्ध वजन 5 किलो हुआ। उक्त शुद्ध गाँजे में से 100 ग्राम गाँजा रासायनिक परीक्षण हेतु बतौर सेम्पल लेकर एक प्लास्टिक की थैली में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर शील्ड कर चिट चस्पा किया एवं उक्त आर्टिकल को मार्क A दिया गया। गाँजे में से 100 ग्राम गाँजा बतौर कन्ट्रोल सेम्पल लिया जाकर एक प्लास्टिक की थैली में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर शील्ड किया एवं चिट चस्पा कर मार्क B दिया गया। शेष 4 किलो 800 ग्राम गाँजे मय कट्टा व पैकिंग की टेप को एक अलग कपड़े की थैली में रखकर शील्ड कर चिट चस्पा कर मार्क C दिया। महावीर पारेता

को धारा 8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट के अपराध में जरिए फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया। जप्ती में प्रयुक्त सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब की गई एवं फर्द जब्ती पर नमूना सील दर्ज की गई। बाद कार्यबाही निजी शील को पत्थर से तोड़कर नष्ट किया जाकर फर्द नष्टीकरण मुर्तिब कर शामिल कागजात की गई। वापसी थाना पर मु.सं. 230/2017 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट दर्ज किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् तथ्यों का संकलन करते हुए अभियुक्त महावीर के विरुद्ध धारा 8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट के अपराध में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।

2. बाद बहस आरोप अभियुक्त महावीर के विरुद्ध धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का आरोप प्रथमदृष्टया बनना पाये जाने पर पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, अभियुक्त ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन साक्षीगण की सूची

क्रम सं.	साक्षी का नाम	किस बाबत साक्षी
1	लक्ष्मण सिंह	फर्द जप्ती
2	जेठाराम	फर्द जप्ती
3	ओमप्रकाश	माल एफ.एस.एस. में जमा कराना
4	कमलेश	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
5	बच्चन सिंह	धारा 57 साक्ष्य अधि. की सूचना
6	कौशल्या	अनुसंधान अधिकारी
7	श्रीकृष्ण गढवाल	जप्ती अधिकारी
8	राजेन्द्र सिंह	मालखाना इंचार्ज

बचाव साक्षीगण की सूची -

क्रम सं.	साक्षी का नाम	किस बाबत साक्षी
निल		

अभियोजन की ओर से पेश प्रलेखों की सूची

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी 1/ पी.डब्ल्यू.1	फर्द जप्ती
2	प्रदर्श पी 2/ पी.डब्ल्यू.1	गवाह सहमति
3	प्रदर्श पी 3/ पी.डब्ल्यू.1	नोटिस धारा 50
4	प्रदर्श पी 4/ पी.डब्ल्यू.1	फर्द नमूना सील
5	प्रदर्श पी 5/ पी.डब्ल्यू.1	फर्द गिरफ्तारी
6	प्रदर्श पी 6/ पी.डब्ल्यू.1	फर्द नष्टीकरण सील
7	प्रदर्श पी 7/ पी.डब्ल्यू.1	फर्द पुन: नमूना सील
8	प्रदर्श पी 8/ पी.डब्ल्यू.1	नक्शा मौका
9	प्रदर्श पी 9/ पी.डब्ल्यू.2	हक्मनामा
10	प्रदर्श पी 10/ पी.डब्ल्यू.2	नकल रपट

11	प्रदर्श पी 11/ पी.डब्ल्यू.3	अग्रेषण पत्र
12	प्रदर्श पी 12/ पी.डब्ल्यू.3	एफ एस एल रसीद
13	प्रदर्श पी 13-19/ पी.डब्ल्यू.6	रोजनामचा रपट
20	प्रदर्श पी 20/ पी.डब्ल्यू.6	मालखाना रजिस्टर की प्रति
21	प्रदर्श पी 21-24/ पी.डब्ल्यू.6	इन्वेन्ट्री रिपोर्ट
22	प्रदर्श पी 25-33/ पी.डब्ल्यू.6	इन्वेन्ट्री कार्यवाही फोटोग्राफ्स
23	प्रदर्श पी 34/ पी.डब्ल्यू.6	एफ एस एल रिपोर्ट
24	प्रदर्श पी 35/ पी.डब्ल्यू.6	फर्द सूचना
25	प्रदर्श पी 35/ पी.डब्ल्यू.7	प्रथम सूचना रिपोर्ट

बचाव पक्ष की ओर से पेश प्रलेखों की सूची

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श डी-1/पी.डब्ल्यू. 1	पुलिस बयान लक्ष्मण सिंह

वस्तु आर्टिकल : - निल

3. अभियोजन साक्ष्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुये स्वयं को निर्दोष होना बताया।

4. प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

(1) क्या दिनांक 21.11.2017 को समय लगभग 04.30 पी.एम. पर थाना इन्द्रगढ़ के किशनपुरिया रोड के पास दौराने तलाशी अभियुक्त महावीर के कब्जे से बिना वैध अनुज्ञापत्र के 05 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा अवैध रूप से परिवहन करते हुए बरामद हुआ, जिसे अपने आधिपत्य में रखने व परिवहन करने का उसके पास कोई वैध अनुज्ञा-पत्र नहीं था ?

(2) यदि अभियोजन सन्देह से परे आरोप प्रमाणित कर पाने में सफल रहा है, तो अभियुक्त को दिये जाने वाले दण्ड की मात्रा क्या होगी ?

5. बहस के माध्यम से अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पूर्णतया प्रमाणित हो चुका है। अभियुक्त महावीर को मादक पदार्थ अपने कब्जे में रखकर उसे ले जाते हुए पकड़ा गया है एवं उसके कब्जे से मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ है, जिसकी पुष्टि अभियोजन के साक्षीगण द्वारा की गई है। अतः मुलजिम के विरुद्ध अपराध प्रमाणित होने का कथन करते हुए मुलजिम को दोषसिद्ध किया जाकर उचित दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गई।

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिये हैं कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है, पत्रावली पर अभियुक्त से बरामदगी के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं है, हालांकि बरामदगी लोक स्थान से करना बताया गया है जहॉ गवाह आसानी से मिल सकते थे। स्वतंत्र गवाह बनाने का प्रयास किया गया हो, इस बात का कोई प्रमाण भी पत्रावली पर नहीं है। यहॉ तक कि उक्त नोटिस भी पत्रावली पर पेश नहीं है जो किसी व्यक्ति गवाह बनने के लिये दिये गये हो। जो पुलिस कर्मचारी जप्ती के स्वतंत्र गवाह बनाये गये हैं, वे सभी जप्ती अधिकारी श्रीकृष्ण गढवाल के अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मचारी हैं। निश्चित रूप से वे स्वतंत्र साक्षी नहीं हो सकते हैं एवं उनकी साक्ष्य को सुदृढ़ नहीं माना जा सकता। मौके पर सभी पुलिस कर्मचारियों के पास कैमरा वाले एंडाइड फोन थे, उसके बाद भी मौके पर जप्ती की कार्यवाही की कोई फोटो व वीडियो नहीं लिये गये। यहॉ तक कि जो फर्दात् बनाई गई है, उनमें समय भी भिन्न हैं एवं इन फर्दात् को कम्प्यूटर से तैयार किया गया है, जो कि मौके पर नहीं किया जा सकता है एवं गवाह पी.डब्ल्यू. 7 जप्ती अधिकारी के अनुसार मौके पर कार्यवाही की फर्दे हाथ से तैयार की गई। ऐसे में जाहिर है कि गवाहान के बयान फर्दात् के संबंध में विरोधाभासी हैं एवं यह प्रकट होता है कि मामला मात्र लक्ष्यपूर्ति हेतु बनाया गया है। जप्तशुदा माल न्यायालय में पेश कर आर्टिकल भी नहीं डाले गये हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही विश्वसनीय नहीं है। आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना की गई है। अतः अभियुक्त को आरोपित धाराओं से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

विचारणीय बिन्दु सं. 1:-

6. प्रकरण में अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 21.11.2017 को अभियुक्त महावीर के पास लगभग 4.30 पी.एम. के आसपास पुलिस थाना, इन्द्रगढ़, जिला-बून्दी के क्षेत्र में किशनपुरिया रोड के पास अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किये जाने के संबंध में अभियोजन द्वारा जो साक्षीगण पत्रावली पर परीक्षित करवाये गये हैं, उनमें स्वयं जब्ती अधिकारी श्रीकृष्ण गढवाल पी.डब्ल्यू. 7 तथा फर्द जब्ती के गवाहान के रूप में साक्षी लक्ष्मण सिंह पी.डब्ल्यू. 1 व जेठाराम पी.डब्ल्यू. 2 तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कमलेश पी.डब्ल्यू. 4 के रूप में पत्रावली पर परीक्षित करवाये गये हैं।

7. साक्षी श्रीकृष्ण गढवाल, जो कि प्रकरण में जब्ती अधिकारी एवं तत्समय पुलिस थाना इन्द्रगढ़, जिला-बून्दी में सी.आई. के पद पर पदस्थापित होना बताया गया है, को अभियोजन की ओर से पत्रावली पर पी.डब्ल्यू. 7 के रूप में परीक्षित करवाया गया है। उक्त साक्षी ने सशपथ कथन किये गये हैं कि वह दिनांक 21.11.2017 को थाना इन्द्रगढ में थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन मय जाप्ता कमलेश चैधरी चालक मय सरकारी जीप लक्ष्मण हेड कानि, जेठाराम कानि. के साथ मय अनुसंधान बॉक्स के गश्त एवं अवैध कार्यों की चैकिंग हेतु थाने से 2.55 पीएम पर रवाना हुए एवं गश्त ईलाका सुमेरगंजमंडी, नवलपुरा, चांदनाखुर्द होते हुए चम्बल नदी की तरफ से किशनपुरिया रोड के तिराहे पर एक

पतला लम्बा व्यक्ति जिसके हाथ में एक कट्टे का थैला था, वह पुलिस की जीप को देखकर घबराकर वापस नदी की तरफ भागा। जिसे रोककर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम महावीर पारेता निवासी इटावा बताया। तलाशी हेतु स्वतंत्र गवाह लाने हमराही जाप्ता में से जेठाराम को भेजा, स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने पर जाप्ता में लक्ष्मण हेड साहब व जेठाराम को स्वतंत्र गवाह मामूर किया। महावीर की तलाशी ली तो उसके दाहीने हाथ में एक कट्टे का थैला था उसको खोलकर देखा तो उसमें आयताकार पैकिट मिला जो भूरे रंग की टेप से चारों ओर से पैक था। टेप को हटाकर देखा तो गहरे भूरे रंग का पदार्थ था जिसको उसने व गवाहन ने देखकर व सूंघकर गांजा होना पाया। उसके परिवहन के बारे में महावीर से अनुज्ञापत्र के बारे में पूछा तो उसने नहीं होना बताया। इस प्रकार महावीर पारेता का उक्त कृत्य धारा 8/20 एन डी पी एस एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से उसने उसके कब्जे में मिली गांजे की सिल्ली का इलेक्ट्रोनिक कांटा से उसका वजन किया तो टेप सहित गांजा का वजन पांच किलो एक सौ पचास ग्राम था तथा टेप को हटाकर वजन किया तो गांजा का शुद्ध वजन पांच किलो था। उसमें से 100 ग्राम सेम्पल के रूप में जिसको पोलीथीन की थैली में रखकर सफेद कपडे की थैली में सील किया गया तथा मार्क ए दिया गया। 100 ग्राम गांजा कन्ट्रोल सेम्पल हेतु निकाला व पोलीथीन की थैली में रखकर सफेद कपडे की थैली में सील किया गया तथा मार्क बी दिया गया। शेष चार किलो 800 ग्राम गांजा को व टेप व थैला को सफेद कपडे की थैली में रखकर सील किया व मार्क सी दिया गया। सील को मौके पर ही पत्थर से तोडकर नष्ट किया। फर्द नष्टीकरण तैयार किया। फर्द जप्ती मौके पर तैयार की गई। मुलजिम को जर्ये फर्द गिरफ्तार किया। मौके पर बाद कार्यवाही मय माल व मुलजिम के थाने पर आए जहां उसके द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई। जप्तशुदा माल को थाने की सील से पुनः सील्ड कर जमा मालखाना किया व मुलजिम को बंद हवालात किया। मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा नमबर 230/17 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर उच्चाधिकारियों के निर्देश से अनुसंधान एस.एच.ओ. लाखेरी श्रीमती कौशल्या गालव को सुपुर्द किया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 1, चॉक एफ आई आर प्रदर्श पी 35, स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति का पत्र प्रदर्श पी 2, धारा 50 एन डी पी एस एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 3, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 4, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम महावीर प्रदर्श पी 5, फर्द नष्टीकरण नमूना सील प्रदर्श पी 6, फर्द पुनः नमूना सील प्रदर्श पी 7 है। दिनांक 22.11.17 को अनुसंधान अधिकारी कौशल्या गालव ने घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 8 है। स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु दिया गया हुकुमनामा प्रदर्श पी 9 है। नकल रपट रवानगी रोजनामचा प्रदर्श पी 10 है जो शामिल पत्रावली है। उसके द्वारा सी ओ साहब को धारा 57 एन डी पी एस एक्ट की सूचना भिजवाई गई थी जो प्रदर्श पी 15 है। जप्तशुदा गांजे का सेम्पल एफ.एस.एल. जांच हेतु भिजवाया गया था जिसकी एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 34 है। प्रकरण में बाद अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कौशल्या गालव ने अभियुक्त महावीर पारेता पुत्र केसरी लाल के विरूद्ध धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर पत्रावली

अग्रिम अनुसंधान उसके सुपुर्द की थी जिसको उसने बाद अवलोकन अभियुक्त महावीर के विरूद्ध धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार किया कि घटनास्थल बहता हुआ रोड है। उसने ग्राम सेवक, पटवारी आदि को स्वतंत्र गवाह बनने के लिये कोई विशेष नोटिस नहीं भिजवाया। महावीर पारेता के पास मौजूद कट्टा में एक सिल्लीनुमा पैकिंग में गांजा था, इसके अलावा कुछ नहीं था। गवाह ने इस बात को गलत बताया कि मुकदमा टारगेट पुरा करने के लिये बनाया हो। मौके पर कार्यवाही हाथ से लिखकर की गई थी। गवाह ने इस बात को गलत बताया कि महावीर के पास गांजा नहीं मिला हो और थाने से गांजा रखकर उसे झूठा फंसाया हो।

8. प्रकरण में साक्षी लक्ष्मण सिंह पी.डब्ल्यू. 1 फर्द जप्ती व बरामदगी का गवाह है, जो मौके पर उपस्थित था। इस साक्षी ने अपने बयानों में बताया कि वह दिनांक 21-11-2017 को थाना इन्द्रगढ में हेड कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन वह सीआई साहब, जेठाराम कानि व वाहन सरकारी चालक कमलेश चौधरी के साथ वास्ते अवैध कार्यों की रोकथाम हेतु थाने से रवाना होकर सुमेरगंज मंडी, नवलपुरा, चाण्दाखुर्द गश्त करते हुए चम्बल नदी की तरफ जाने वाले रोड पर पहुंचे तो सीआई साहब व जाप्ता को एक लम्बा पतला युवक प्लास्टिक का थैला लेकर आता दिखाई दिया, जिसे सन्देह होने पर रोककर नाम-पता पूछा तो उसने उसका नाम महावीर होना बताया। उसकी तलाशी हेतु जेठाराम कानि को लिखित में हुकुमनामा देकर स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया। स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने पर उसने व जेठाराम में लिखित में गवाह बनने की सहमति दी। सीआई साहब ने महावीर पारेता की धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस दिया जिस पर उसने लिखित में सीआई साहब से तलाशी लेने की स्वीकृति दी। तत्पश्चात महावीर पारेता की तलाशी ली तो उसक दाहिने हाथ में मिले प्लास्टिक के कटटे को खोलकर चेक किया तो उसमें एक सिल्ली आयताकार मिली जिस पर भूरे रंग की प्लास्टिक की पेकिंग लिपटी थी। सिल्ली को टेप से हटाकर देखा तो उसमे हरे रंग का पदार्थ होना पाया जिसे सीआई साहब ने सूंघा व हम गवाहान को सुंघाया तो गांजा होना पाया। जब महावीर से इस पदार्थ के बारे में पूछा तो उसने भी गाँजा होना पाया। महावीर पारेता से गांजा रखने बाबत लाईसेंस मांगा तो उसने कोई लाइसेन्स नहीं होना बताया। महावीर पारेता का उक्त कृत्य 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अपराध प्रमाणित पाया जाने पर उस व्यक्ति के पास मिली गांजे की सिल्ली का इलेक्ट्रानिक कांटे से वजन किया हो कुल वजन 5 किलो 150 ग्राम मिला जिसकी पैकिंग हटा कर वजन किया तो गाँजा का शुद्ध वचन पॉच किलो हुआ (जिसमें से 100 ग्राम गांजा रासायनिक परीक्षण हेतु बतौर सैंपल एक प्लास्टिक की थैली में रख कपडे की सफेद थैली में रख सील मोहर कर मार्क ए दिया तथा 100 ग्राम गांजा बतौर कन्ट्रोल सैंपल निकाल कर प्लास्टिक की थैली में रख सील मोहर कर मार्क बी दिया। उक्त दोनों पर चिट माल चस्पा किए तथा शेष 4 किलो 800 ग्राम गांजा को मय कटटा व पैकिंग टेप के एक अलग कपडे की थैली में रख सील्ड

मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क सी दिया। फर्द जप्ती मौके पर तैयार की। माल सैंपल व फर्द जप्ती पर नमुना सील अंकित की। फर्द नमूना सील पृथक से मुर्तिब की। मुलजिम को जरिये फर्द गिरफतार किया। बाद कार्यवाही निजी सील को पत्थर से तोडकर नष्ट किया। जिसकी फर्द नष्टीकरण सील तैयार की। बाद कार्यवाही मय माल व मुलजिम थाने आकर एस.एच.ओ. साहब ने मुकदमा दर्ज कर माल व नमूना को पुनः थाने की सील से सील मोहर कर जमा मालखाना कराया व मुलजिम को बंद हवालात किया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 01, गवाह बनने की सहमति पत्र प्रदर्श पी 02, धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 03, फर्द नमुना सील प्रदर्श पी 04, फर्द गिरफतारी मुलजिम प्रदर्श पी 05, फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी 06, फर्द पुनः नमूना सील प्रदर्श पी 07 है। तत्पश्चात दिनांक 22.11.2017 को आईओ श्रीमती कौशल्या गालव एसएचओ लाखेरी ने कृष्ण गढवाल की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 08 है। बचाव पक्ष की जिरह में कहा कि घटनास्थल बहता हुआ रोड नहीं है, बहुत कम लोग जाते हैं। नक्शा मौका घटना के दूसरे दिन बनाया था। अनुसंधान बॉक्स में इलेक्ट्रोनिक कांटा था। गवाह ने स्वीकार किया कि सी आई ने जाप्ते में से किसी को भी किशनपुरा गांव के ग्राम सेक्रेटरी, पटवारी, सरपंच या स्कूल के प्रिसिंपल को स्वतंत्र गवाह बनाने के लिये नहीं बुलाया। गांजे व सील तोडने की कोई फोटोग्राफी नहीं की। कार्यवाही पुलिस से पूर्व सभी फर्दों का निष्पादन कर लिया था। फिर कहा फर्द पुन: नमूना सील एफ आई आर कता करने के बाद थाने पर बनाई थी।

9. फर्द जप्ती व बरामदगी के अन्य गवाह जेठाराम पी.डब्ल्यू. 2 ने भी अपने बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 21.11.2017 को थाना इन्द्रगढ़ में कानि के पद पर तैनात था। उस दिन श्री कृष्ण गढ़वाल एस एच ओ साहब श्री लक्ष्मण सिंह हेड कानि, वह तथा चालक कमलेश चैधरी मय सरकारी जीप व अनुसंधान बॉक्स के वास्ते गश्त ईलाका एवं अवैध कार्यों की चेकिंग हेतु 2.55 पी एम पर रवाना होकर सुमेरगंज मण्डी, नवलपुरा, धाणदा खुर्द गश्त करते हुए चम्बल नदी के तरफ जाने वाले किशनपुरिया रोड रोड 3.45 पी एम पर पहुंचे तो एक लंबा पतला युवक प्लास्टिक का कट्टा लेकर आता दिखाई दिया, जिसे रोककर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम महावीर पारेता होना बताया। उसकी तलाशी लेने हेतु स्वतंत्र गवाह लाने हेतु उसे लिखित में हुकुमनामा देकर रवाना किया, स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने पर हमराही जाप्ता में से उसे व हेड कानि. लक्ष्मण सिह को उनकी लिखित सहमति प्राप्त कर गवाह मामूर किया। तत्पश्चात् महावीर पारेता की तलाशी के पूर्व उसे धारा 50 एन डी पी एस एक्ट का नोटिस देकर उसके अधिकारों से अवगत कराया इस पर महावीर पारेता ने एस एच ओ साहब से ही तलाशी लेने की सहमति लिखित में दी। महावीर पारेता की तलाशी ली तो उसके दाये हाथ में पकडे हुए प्लास्टिक् के कट्टे को खोलकर चैक किया तो उसमें एक आयताकार सिल्ली के उपर पैकिंग टेप लिपटी हुई थी। उसको हटाकर देखा तो उसमें हरे रंग का पदार्थ था जिसे देखा व परखा व गवाहन को दिखाया व सुंघाया तो गांजा होना पाया। स्वयं महावीर पारेता ने भी गांजा होना बताया। महावीर पारेता से गांजा

रखने व परिवहन करने बाबत् लाईसेस मांगा तो नहीं होना बताया। महावीर पारेता का उक्त कृत्य धारा 8/20 एन डी पी एस एक्ट के तहत दण्डनीय होने से एस एच ओ साहब ने महावीर पारेता के पास उसके कब्जे में मिली गांजे की सिल्ली को अनुसंधान बॉक्स में से इलेक्ट्रोनिक कांटा निकालकर तौला तो पैकिंग सहित गांजा की सिल्ली का वजन 5 किलो 150 ग्राम हुआ तथा शुद्ध गांजा का वजन 5 किलोग्राम हुआ। जिसमें से 100 ग्राम गांजा रासायनिक परीक्षण हेतु निकालकर प्लास्टिक की थैली में रखकर कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर चिट चस्पा किया व मार्क ए दिया तथा 100 ग्राम गांजा कन्ट्रोल सेम्पल हेतु निकालकर एक प्लास्टिक की थैली में रखकर फिर कपडे की थैली में रखकर मार्क बी दिया शेष गांजा 4 किलो 800 ग्राम को उसी पैकिंग टेप के साथ रखकर कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क सी दिया। मुलजिम को जरिये फर्द गिरफ्तार किया। फर्द जप्ती मौके पर ही बनाई गई। एस एच ओ साहब ने माल व सेम्पल को उनके पास की निजी सील से सील किया था। बाद में उस सील को बाद कार्यवाही तोडकर नष्ट किया व उसकी फर्द बनाई गई। बाद कार्यवाही मय माल व मुलजिम के रवाना होकर थाने पर आए जहां एस एच ओ साहब ने मुलजिम के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया। माल को थाने पर थाने की सील से पुनः सील कर जमा मालखाना कराया तथा मुलजिम को बंद हवालात किया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 1, स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु दिया गया हुकुमनामा प्रदर्श पी 9, गवाह बनने की सहमति का पत्र प्रदर्श पी 2, धारा 50 एन डी पी एस एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 3, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 4, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम महावीर प्रदर्श पी 5, फर्द नष्टीकरण नमूना सील प्रदर्श पी 6, फर्द पुनः नमूना सील प्रदर्श पी 7 है। दूसरे दिन दिनांक 22.11.2017 को अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कौशल्या गालव एस एच ओ लाखेरी ने श्री कृष्ण गढवाल एस एच ओ इन्द्रगढ की निशादेही से घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 8 बनाया। नकल रपट रवानगी प्रदर्श पी 10 है। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि उनकी गश्त को एस एच ओ लीड कर रहे थे, गश्त में चार व्यक्ति थे। गवाह ने स्वीकार किया कि उसे किसी सरकारी स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल को सवतंत्र गवाह बुलाने हेतु नही भेजा। गवहा ने इस बात को गलत बताया कि प्रदर्श पी-1 में लगी सील थाने पर आकर तोडी हो बल्कि मौके पर ही तोड़ दी थी। टूटी हुई सीलों के फोटोग्राफ्स लिये हों तो एस एच ओ साहब की जानकारी में होगा। उसे पता नहीं कि टूटी हुई सीलों को एफ एस एल जॉच हेतु भेजा या नहीं। गवाह ने स्वीकार किया कि जिन लोगों ने गवाह बनने से इनकार किया उनको ना तो नोटिस दिया ना ही गिरफ्तार किया। इस बात को गलत बताया मि महावीर पारेता घर का सामान लेकर नाव से अपने गांव जाते हुए को उन्होंने गिरफ्तार किया हो।

10. साक्षी कमलेश पी.डब्ल्यू. 4 प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 21.11.2017 को थाना इन्द्रगढ में कानि. चालक के पद पर तैनात था। उस दिन श्रीकृष्ण गढवाल एस.एच.ओ. साहब, लक्ष्मण हेड कानि, जेठाराम कानि. के साथ

गश्त एवं अवैध कार्यों की चैकिंग हेतु रवाना होकर सुमेरगंजमंडी, नवलपुरा, चांदनाखुर्द पहुँचे जहां पर चम्बल नदी की तरफ से किशनपुरिया रोड के तिराहे पर एक पतला लम्बा व्यक्ति जिसके हाथ में एक कट्टे का थैला था वह पुलिस की जीप को देखकर घबराकर वापस नदी की तरफ भागा। जिसे पकड़कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम महावीर पारेता निवासी इटावा बताया। उसके पास में कोई संदिग्ध वस्तु हो सकती है तो एस एच ओ साहब ने जेठाराम को स्वतंत्र गवाह हेतु भेजा। स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने पर लक्ष्मण जी हेड साहब व जेठाराम को स्वतंत्र गवाह मामूर किया गया। महावीर की तलाशी ली तो उसके दाहीने हाथ में एक कट्टे का थैला था उसको खोलकर देखा तो उसमें आयताकार पैकिट मिला जो भूरे रंग की टेप से चारों ओर से पैक था। टेप को हटाकर देखा तो गहरे भूरे रंग का पदार्थ था जिसको स्वयं एस एच ओ साहब व गवाहन ने देखकर व सूंघकर गांजा होना पाया। उसके परिवहन के बारे में महावीर से अनुज्ञा-पत्र के बारे में पूछा तो उसने नहीं होना बताया। एस एच ओ साहब ने इलेक्ट्रोनिक कांटा से उसका वजन किया तो टेप सहित गांजा का वजन पांच किलो एक सौ पचास ग्राम था तथा टेप को हटाकर वजन किया तो गांजा का शुद्ध वजन पांच किलो था। उसमें से 100 ग्राम सेम्पल के रूप में जिसको पोलीथीन की थैली में रखकर सफेद कपडे की थैली में सील किया गया तथा मार्क ए दिया गया। 100 ग्राम गांजा कन्ट्रोल सेम्पल हेतु निकाला व पोलीथीन की थैली में रखकर सफेद कपडे की थैली में सील किया गया तथा मार्क बी दिया गया। शेष 4 किलो 800 ग्राम गांजा को व टेप व थैला को सफेद कपडे की थैली में रखकर सील किया व मार्क सी दिया गया। एस एच ओ साहब ने उनकी सील को मौके पर ही पत्थर से तोडकर नष्ट किया। फर्द जप्ती मौके पर तैयार की गई। बाद कार्यवाही मय माल व मुलजिम के थाने पर आए। एस एच ओ साहब द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई। बचाव पक्ष की जिरह में इस बात को गलत बताया कि महावीर को उन्होंने भागते हुए को नहीं पकड़ा हो बल्कि भागते हुए पकड़ा था। उसने जप्तशुदा माल को दूर से देखा था और उस माल की ताईद की कि वह गांजा है। इलेक्ट्रोनिक कांटा जीप के अंदर ही था। तोडी गई सील मालखाना में जमा नहीं करवाई, बल्कि मौके पर ही फेंक दी थी। गवाह ने इस बात को गलत बताया कि एस एच ओ व जाप्ता ने टारगेट पूरा करने के लिये महावीर को झूठा फंसाया हो।

11. साक्षी ओमप्रकाश पी.डब्ल्यू. 3 प्रकरण में जप्तशुदा माल को एफ.एस.एल. में जमा कराने का गवाह है। इस साक्षी ने अपने बयानों में बताया कि दिनांक 28.11.2017 को वह थाना इन्द्रगढ पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नम्बर 230/2017 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में जप्तशुदा सील्डशुदा पैकिट मार्क ए मय कागजात मालखाना इंचार्ज श्री राजेन्द्र हेड कानि. ने एफ.एस.एल जमा कराने हेतु उसे सुपुर्द किया। जिसे लेकर वह उसी दिन एस पी कार्यालय बूंदी पहुंचा जहां से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर रात्रि हो जाने से मुकीम बूंदी रहा तथा सुबह जल्दी रवाना होकर एफ एसएल जयपुर दिनांक 29.11.17 को पहुंचकर सील्डशुदा पैकिट मार्क ए एफ.एस.एल. में जमा कराया व रसीद संख्या

16277 दिनांक 29.11.17 प्राप्त कर दिगर राज कार्य करता हुआ दिनांक 30.11.2017 को वापस थाना आया व रसीद मालखाना मुंशी को सुपुर्द की। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 11 है। एफ.एस.एल. की रसीद प्रदर्श पी 12 है तथा नकल रपट रवानगी व वापसी क्रमशः प्रदर्श पी 13 व प्रदर्श पी 14 है। बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार किया कि उसने रसीद देने के बाद मालखाना रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं किये थे। उसने मालखाना इंचार्ज से नहीं पूछा था कि क्या माल दे रहे हो। उसने मालखाना जमा कराने की पुलिस को साक्ष्य नहीं दी क्योंकि रवानगी वापसी ही इस मामले में होती है।

12. साक्षी राम सिंह पी.डब्ल्यू. 8 मालखाना इंचार्ज है, जिसने बताया कि वह दिनांक 21.11.17 को थाना इन्द्रगढ में हेड कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन एसएचओ श्री कृष्ण गढवाल ने सीलशुदा तीन पैकिट मालखाना में जमा कराने हेतु दिया था जो मार्क ए बी व सी थे जिनको मालखाना में जमा किया था जिसका इंद्राज मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 389 दिनांक 21.11.2017 पर कर जमा मालखाना किया था। उक्त माल का सेम्पल मार्क ए उसने दिनांक 28.11.2017 को एफ एस एल में जमा कराने हेतु ओमप्रकाश कानि. 991 को सीलशुदा हालत में मय दस्तावेज दिया था जिसे उसने दिनांक 28.11.17 को एफ एस एल जयपुर में पहुंचकर जमा कराकर रसीद लाकर उसे सुपुर्द की थी। जिसे उसने संबंधित आई ओ को दिया था। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 20 है। इसकी नकल प्रदर्श पी 20 ए है जो शामिल पत्रावली है। एफ.एस.एल. की रसीद प्रदर्श पी 12 है। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि टूटी हुई सीलें मालखाना में जमा कराई या नहीं, उसकी जानकारी में नहीं है। एफ.एस.एल. नहीं भेजी। जिस दिन माल जमा हुआ, उस दिन वह थाने में था या नहीं, इस बाबत् दस्तावेज उसने नहीं दिया, ना ही अनुसंधान अधिकारी ने उससे लिया। उसने एफ.एस.एल. के लिये 28.11.2017 को ओमप्रकाश कानि. को पैकेट दिया था।

13. साक्षी बच्चन सिंह पी.डब्ल्यू. 5 धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना पहुँचाने का गवाह है। इस साक्षी ने अपने बयानों में बताया कि वह दिनांक 22.11.2017 को थाना इन्द्रगढ पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नम्बर 230/17 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना श्रीमान् सी.ओ. साहब लाखेरी में देने हेतु उसे एसएचओ श्री कृष्ण गढवाल ने एक बंद लिफाफा दिया था जिसे लेकर वह थाने से रवाना होकर सी.ओ. कार्यालय लाखेरी पहुंचा जहां सी ओ साहब को उक्त सूचना का लिफाफा सुपुर्द कर सूचना की दूसरी प्रति पर उनकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की व रवाना होकर बूंदी गया जहां दीगर राजकार्य करके रात्रि मुकीम रहा व दिनांक 23.11.17 को वापस थाने आया व रसीद श्रीमान् एस.एच.ओ. साहब को सुपुर्द की। धारा 57 एन डी पी एस एक्ट की सूचना प्रदर्श पी 15 है। नकल रपट रवानगी रोजनामचा प्रदर्श पी 16 व वापसी प्रदर्श पी 17 है। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि उसने प्रदर्श पी-15 को खोलकर नहीं देखा। एस एच ओ साहब ने जो लिफाफा उसे दिया था, वह शामिल पत्रावली नहीं है। उसके द्वारा जो रसीद लाई गई थी, वह शामिल पत्रावली है।

14. साक्षी कौशल्या पी.डब्ल्यू. 6 प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अपने बयानों में बताया कि वह दिनांक 21.11.2017 को थाना लाखेरी में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित थी। उस दिन मुकदमा नम्बर 230/17 धारा 8/20 एन डी पी एस एक्ट की पत्रावली वास्ते अनुसंधान प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान उसने जप्ती अधिकारी श्री कृष्ण गढवाल पुलिस निरीक्षक एवं कानि. जेठाराम, हेड कानि. लक्ष्मण, कानि. कमलेश, कानि. ओमप्रकाश, बच्चन सिंह एवं हेड कानि. राजेन्द्र के धारा 161 सी आर पी सी के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 22.11.2017 को लक्ष्मण हेड कानि. व जेठाराम कानि. की मौजूदगी में श्री कृष्ण गढवाल सी आई की निशादेही से नक्शा मौका घटना स्थल मुर्तिब किया गया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 8 है। प्रकरण में जप्तशुदा माल का सेम्पल एफएसएल भिजवाया गया था। जिसकी जमा रसीद शामिल पत्रावली की गई जो प्रदर्श पी 12 है। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 11 है। नकल रपट रोजनामचा प्रदर्श पी 13,14,16,17,18,19 है जो शामिल पत्रावली है। मालखाना रजिस्टर की नकल शामिल पत्रावली की गई जो प्रदर्श पी 20 है। प्रकरण में जप्तशुदा माल की इन्वेंटरी कार्यवाही करवाई गई थी जिसकी इन्वेंटरी रिपोर्ट मय अग्रेषण पत्र के प्रदर्श पी 21 लगायत प्रदर्श पी 24 है तथा फोटोग्राफ प्रदर्श पी 25 लगायत प्रदर्श पी प्रदर्श पी 33 है तथा एफ एस एल नतीजा रिपोर्ट प्रदर्श पी 34 है जो शामिल पत्रावली है। दौराने अनुसंधान गिरफ्तारशुदा मुलजिम महावीर पारेता से पूछताछ की गई जिसने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत सूचना दी कि उसने जिस जगह से गांजा खरीदा था वह जगह वह चलकर बता सकता है। फर्द सूचना प्रदर्श पी 35 है जो शामिल पत्रावली है। समस्त अनुसंधान से मुलजिम महावीर पारेता के विरूद्व धारा 8/20 एन डी पी एस एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर पत्रावली वास्ते चालान थानाधिकारी थाना इन्द्रगढ को सुपुर्द की। जिन्होंने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार किया कि गांजा हरे रंग का नहीं होता है वह मटमैल व भूरे रंग का होता है। गांजा बिल्कुल ताजा हो तो वह हरे रंग का होता है। उसने माल को नहीं देखा, माल सील पैक अवस्था में था। प्रदर्श पी-25 से प्रदर्श पी-33 फोटोग्राफ उसके पास अनुसंधान के समय तक शामिल पत्रावली नहीं थे। उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-8 बनाये जाते समय का रोजनामचा रपट शामिल पत्रावली नहीं है। यदि उक्त अनुसंधान के गवाह यह कहते हो कि उक्त फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी-25 से लेकर प्रदर्श पी-33 घटनास्थल या थाने के खींचे हो तो हो सकता है कि उन्होंने यह गलतफहमी में बोल दिया हो। गवाह ने स्वीकार किया कि फोटोग्राफ्स के संबंध में धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र नहीं है न ही फोटोग्राफ्स पर न्यायालय की सील मोहर है।

15. दोनों पक्षों की ओर से दिये गये तर्कों पर विचार कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार करना उचित पाता है कि क्या प्रस्तुत मामले में धारा 42 एन.डी.पी.एस.एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना की गई है। इस धारा के प्रावधान उन परिस्थितियों में लागू होते हैं जहॉ कार्यवाही करने वाले पुलिस

अधिकारी के पास ऐसी कोई व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखी गई सूचना पर यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के संबंध में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया है, अर्थात् अभियुक्त के पास मादक पदार्थ होने की पूर्व सूचना होना आवश्यक है। प्रस्तुत मामले में एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-35 फर्द अकस्मात् चैकिंग एवं जप्ती प्रदर्श पी-1 का अवलोकन किया जाये तो यह जाहिर है कि दिनांक 21.11.2017 को दिन में करीब 2.55 पी.एम. पर तत्कालीन थानाधिकारी थाना इन्द्रगढ़ श्रीकृष्ण गढवाल थाने से रवानगी दर्ज कर जाप्ता जिसमें लक्ष्मण सिंह एच.सी., जेठाराम कानि. व चालक कानि. कमलेश मौजूद थे, को साथ लेकर मय सरकारी जीप व अनुसंधान बॉक्स के थाने से वास्ते गश्त एवं चैकिंग अवैध कार्य गुण्डा बदमाशान हेतु रवाना हुए एवं 3.45 पी.एम. पर चम्बल नदी की तरफ जाने वाले किशनपुरिया रोड पर पहुँचे, जहाँ अभियुक्त उन्हें कट्टा लेकर आता हुआ दिखाई दिया, जिसका आचरण सन्देहास्पद होने से प्रस्तुत मामले में कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत हुई। प्रस्तुत मामले में रोजनामचा रपट थाने से रवानगी बाबत् प्रदर्श पी-10 के रूप में पेश किया गया है। ऐसे में यह दर्शित हो रहा है कि घटना वाले दिन वास्तव में जप्ती अधिकारी श्रीकृष्ण गढवाल अपने जाप्ते के साथ थाने से रवाना हुए थे एवं अभियुक्त के संबंध में कोई पूर्व सूचना उनके पास नहीं थी कि वह मादक पदार्थ अवैध रूप से अपने कब्जे में रखकर घटनास्थल पर आ रहा है, अपितु ऐसा दर्शित होता है कि अचानक ही दौराने गश्त अभियुक्त महावीर का आचरण सन्देहास्पद होने से यह सम्पूर्ण कार्यवाही की गई थी। ऐसे में स्पष्ट है कि यह आकस्मिक चैकिंग का मामला था जिसमें धारा 42 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं।

16. जहाँ तक धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की पालना का प्रश्न है तो प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी से कोई बरामदगी नहीं हुई है अपितु यह बरामदगी अभियुक्त के पास मौजूद कट्टे (थैला) से होना बतायी गई है। इस मामले में पंजाब राज्य बनाम बलजिन्दर सिंह (2019) 10 एस.सी.सी. 473 में प्रतिपादित मत महत्वपूर्ण है जिसमें यह निर्धारित किया गया कि धारा 50 के प्रावधान मात्र किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी पर ही लागू होते हैं, ना कि उसके पास मौजूद किसी बैग, सूटकेस, थैली आदि की तलाशी पर। इसी आशय का मत जनरैल सिंह बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 964 के मामले में भी व्यक्त किया गया। अतः न्यायालय के समक्ष यह परिस्थिति स्पष्ट है कि जहॉ अभियुक्तगण की व्यक्तिगत तलाशी से मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई, वहॉ धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों का तकनीकी आधार लेकर अभियुक्त को बरी नहीं किया जा सकता है। साथ ही प्रस्तुत मामले में मौके पर अभियुक्त की सन्देहास्पद परिस्थितियों को देखते हुए जप्ती अधिकारी द्वारा धारा 50 का नोटिस प्रदर्श पी-3 के रूप में अभियुक्त महावीर को दिया गया था, जिसमें उसे सूचित किया गया था कि वह चाहे तो अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट से लिवा सकता है। इस नोटिस की पुष्टि गवाह

पी.डब्ल्यू. 7 श्रीकृष्ण गढवाल के अतिरिक्त पी.डब्ल्यू. 1 लक्ष्मण सिंह व पी.डब्ल्यू. 2 जेठाराम द्वारा भी की गई है। ऐसे में इस न्यायालय के विनम्र मत में प्रस्तुत मामले में धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों की अवहेलना होना दर्शित नहीं हो रहा है।

17. अब यदि न्यायालय द्वारा अभियुक्त महावीर से बतायी गई बरामदगी की परिस्थितियों पर व अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा इस संबंध में दिये गये तर्कों पर विचार किया जाये तो अभियोजन की कहानी के अनुसार दिनांक 21.11.2017 को अभियुक्त महावीर से तत्समय् बरामदगी की गई जबकि वह चम्बल नदी पर जाने वाली किशनपुरिया रोड पर हाथ में एक कट्टा जिसमें गांजा भरा हुआ था, लेकर जा रहा था। जप्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू. 7 श्रीकृष्ण गढवाल व जप्ती के गवाह पी.डब्ल्यू. 1 लक्ष्मण सिंह, पी.डब्ल्यू. 2 जेठाराम तथा पी.डब्ल्यू. 4 कमलेश ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि तत्समय् वे थाना इन्द्रगढ़ से रवानगी रपट डालकर वास्ते गश्त ईलाक व चैकिंग गुण्डा बदमाशान हेतु सरकारी वाहन से रवाना हुए थे एवं उक्त गश्त के दौरान ही अभियुक्त महावीर का आचरण पुलिस जाप्ते को देखकर तेज गति से चलकर जाने की वजह से सन्देहास्पद होने से तलाशी ली गई। इन गवाहान की जिरह में थाने से गश्त हेतु रवाना होने और अभियुक्त की तलाशी लिये जाने के संबंध में कोई विरोधाभास प्रकट नहीं हो रहा है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि रपट रवानगी प्रदर्श पी-10 से भी इन गवाहान का गश्त पर जाना प्रमाणित हो रहा है। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-35 एवं फर्द जप्ती प्रदर्श पी-1 के साथ संलग्न कार्यवाही पुलिस का अवलोकन किया जाये तो तत्समय् जप्ती अधिकारी श्रीकृष्ण गढवाल का हमराही जाप्ता के साथ मुलजिम महावीर को गिरफ्तार कर वापिस थाने पर लाना व उसे बन्द हवालात करवाने तथा अवैध मादक पदार्थ को जमा मालखाना करवाने की पुष्टि भी हो रही है। यदि इस संबंध में मालखाना प्रभारी गवाह पी.डब्ल्यू. 8 रामसिंह के बयानों का अवलोकन किया जाये तो यह गवाह भी प्रस्तुत मामले में जप्त सील्डशुदा माल के तीन पैकेट मार्क ए,बी,सी श्रीकृष्ण गढवाल थानाधिकारी द्वारा मालखाने में जमा करवाये जाने की पुष्टि करता है। गवाह के अनुसार उसने मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-20 के क्रमांक 389/17 दिनांक 21.11.2017 पर उक्त माल जमा करने की प्रविष्टि की है। इस गवाह की जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है जो यह दर्शित करे कि तत्समय् कोई मादक पदार्थ थाना इन्द्रगढ़ के मालखाना में जमा नहीं हुआ। अपितु गवाह पी.डब्ल्यू. 3 ओमप्रकाश भी इस बात की पुष्टि करता है कि दिनांक 28.11.2017 को उसने प्रस्तुत प्रकरण में जप्तशुदा माल पैकेट मार्क ए वास्ते जॉच विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करवाने हेतु सुपुर्द किया गया था। जिसे यह गवाह नियमानुसार विधि-विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करवाकर रसीद प्रदर्श-12 लाकर देने की पुष्टि करता है, जिसका कोई खण्डन जिरह में नहीं हो पाया है। यदि अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 6 कौशल्या के बयानों का अवलोकन किया जाये तो उसने इस बात की पुष्टि की है कि प्रस्तुत मामले में उसके द्वारा अनुसंधान किया गया था एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त महावीर के

विरुद्ध 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया। इस तथ्य का कोई खण्डन इस गवाह की जिरह में भी नहीं हुआ कि अभियुक्त महावीर से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद नहीं हुआ हो। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा कि प्रस्तुत मामले में स्वतंत्र गवाह बनाये जाने के समुचित प्रयास नहीं किये गये हैं, जिस पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि मौके के सभी गवाहान द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि स्वतंत्र गवाह लाने के लिये पी.डब्ल्यू.2 जेठाराम कांस्टेबल को भेजा गया था परन्तु आसपास कोई स्वतंत्र गवाह नहीं होने से जाप्ते से लक्ष्मण सिंह एवं जेठाराम को ही गवाह मामूर कर लिया गया। इस तथ्य की पुष्टि नोटिस प्रदर्श पी-9 व फर्द प्रदर्श पी-2 से हो रही है, जिनसे यह प्रकट हो रहा है कि मौके पर स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं होने से लक्ष्मण सिंह व जेठाराम की सहमति से उन्हें गवाह बनाया गया था एवं किसी पुलिस कर्मचारी की साक्ष्य को मात्र इस आधार पर नहीं नकारा जा सकता कि वह तत्समय् जाप्ते का सदस्य था। यदि इस संबंध में ताहिर बनाम राज्य (दिल्ली) (1996) 3 एस.सी.सी. 338 का अवलोकन किया जाये तो प्रस्तुत न्यायिक नजीर में यही मत प्रतिपादित किया गया है कि जहॉ पुलिस कर्मचारियों की साक्ष्य अखण्डनीय है, वहॉ ऐसी साक्ष्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार जबकि प्रस्तुत मामले में मौके पर की गई कार्यवाही के संबंध में मौके के गवाहान की साक्ष्य में कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है तो उनकी साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण न्यायालय को दर्शित नहीं होता है।

18. मौके पर कार्यवाही के पश्चात् अभियुक्त को मय माल थाने पर लाया गया, जहॉ जप्तशुदा माल को थाने की सील से सील मोहर करना प्रदर्श पी-7 से दर्शित है। तत्पश्चात् जरिये फर्द प्रदर्श पी-15 के अपने उच्च अधिकारियों को धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत सूचना भेजी गई थी। जिसकी पुष्टि नकल रपट रवानगी प्रदर्श पी-16 व 17 से भी हो रही है। जप्तशुदा माल व नमूने को जमा मालखाना करवाये जाने की पुष्टि प्रदर्श पी-20 व गवाह पी.डब्ल्यू. 8 रामसिंह तत्कालीन मालखाना इंचार्ज के बयानों से भी हो रही है। प्रकरण में जप्तशुदा पदार्थ वास्तव में मादक पदार्थ गांजा है या नहीं, इस तथ्य की पुष्टि हेतु जप्तशुदा नमूने को विधि-विज्ञान प्रयोगशाला जॉच हेतु भेजा गया, जिसकी पुष्टि गवाह पी.डब्ल्यू. 8 रामसिंह व पी.डब्ल्यू. 3 ओमप्रकाश द्वारा की गई है। गवाह ओमप्रकाश ने माल जमा करवाकर रसीद प्रदर्श पी-12 प्राप्त करने की पुष्टि की है। इस संबंध में एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी-34 का अवलोकन किया जाये तो उक्त रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण का जप्तशुदा माल पैकेट मार्क ए सीलशुदा अवस्था में प्राप्त हुआ था जिसकी जॉच किये जाने पर उसमें मौजूद पदार्थ को अधिनियम में परिभाषित मादक पदार्थ गांजा पाया गया।

19. प्रकरण में अभियुक्त महावीर के विरुद्ध आरोप बाद अनुसंधान प्रमाणित पाये जाने की पुष्टि अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू. 6 कौशल्या के बयानों से हो रही है। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया कि प्रस्तुत मामले में फर्दात् पर अलग-अलग समय अंकित है, जिस पर

विचार किया गया। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि सभी फर्दात् अलग-अलग समय पर तैयार की गई हैं, ऐसे में स्वाभाविक रूप से उन पर समय अलग-अलग अंकित है एवं अलग समय अंकित होना अभियुक्त को किस प्रकार सहायता प्रदान कर रहा है, यह स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार फर्दात् को हाथ से व कम्प्यूटर से तैयार करने के बिन्दु पर विचार किया जाये तो प्रदर्श पी-1 के अनुसार ही यह दर्शित है कि गश्त पर जाने से पूर्व जाप्ते के पास अनुसंधान बॉक्स मौजूद था एवं जिसमें आवश्यक सामग्री मौजूद होती है। पत्रावली पर मौके की जो फर्दात् मौजूद है, ये सभी हाथ से तैयार की गई हैं, जिसकी पुष्टि गवाह पी.डब्ल्यू. 7 श्रीकृष्ण गढवाल द्वारा भी की गई है। ऐसे में हाथ से फर्द तैयार करना कार्यवाही की पुष्टि नहीं करता है, यह प्रकट नहीं हो रहा है एवं इस संबंध में किये गये अधिवक्ता अभियुक्त के तर्क माने जाने योग्य नहीं हैं। जहॉ तक प्रस्तुत मामले में अभियुक्त महावीर को झूठा फंसाने का प्रश्न है तो इस बिन्दु पर विचार किया गया। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि किसी भी पुलिस कर्मचारी की अभियुक्त से व्यक्तिगत रंजिश होना प्रतिरक्षा में जाहिर नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में अभियुक्त महावीर को झूठा फंसाये जाने का क्या कारण है, यह अभियुक्त की ओर से ही स्पष्ट नहीं किया गया। जबकि इसके विपरीत अभियोजन के गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्त महावीर से मादक पदार्थ गांजा शुद्ध वजन 05 किलो की बरामदगी सुदृढ़ रूप से साबित हो रही है एवं गवाहान की साक्ष्य में कोई तात्विक विरोधाभास अभियुक्त पक्ष की ओर से जिरह में उत्पन्न नहीं किया जा सका। प्रस्तुत मामले में धारा 52 ए के तहत कार्यवाही किये जाने की पुष्टि भी प्रदर्श पी-21 लगायत प्रदर्श पी-33 से हो रही है।

20. प्रस्तुत मामले में अभियोजन साक्ष्य की सुदृढ़ता को देखते हुए न्यायालय अभियुक्त महावीर के विरुद्ध धारा 35 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा करना उचित पाता है। इस उपधारणा का खण्ड़न चूंकि अभियुक्त महावीर की ओर से नहीं किया जा सका है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त महावीर आरोपित अपराध धारा 8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

21. अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के समग्र परिशीलन व विवेचन से इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 21.11.2017 को समय लगभग 04.30 पी.एम. पर थाना इन्द्रगढ़ के किशनपुरिया रोड के पास दौराने तलाशी अभियुक्त महावीर के कब्जे से बिना वैध अनुज्ञापत्र के 05 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा अवैध रूप से परिवहन करते हुए बरामद हुआ, जिसे अपने आधिपत्य में रखने व परिवहन करने का उसके पास कोई वैध अनुज्ञा-पत्र नहीं था। ऐसी स्थिति में अभियुक्त महावीर के विरुद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित होने से अभियुक्त महावीर एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/20 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आ दे श

निष्कर्षतः अभियुक्त महावीर पुत्र केसरीलाल, निवासी-ग्राम कोटा रोड इटावा, कोटा ग्रामीण जिला-कोटा(राज0) को आरोपित अपराध धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध करार दिया जाता है।

(मिनाक्षी मीणा)
न्यायाधीश,
विशिष्ट न्यायालय
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, बून्दी

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया:-

22. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त पूर्व में भी न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका है। अभियुक्त लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा भी ज्यादा नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य भी पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्त निर्धन व्यक्ति है। अतः अभियुक्त महावीर को भुगती हुई सजा अथवा परिवीक्षा पर रिहा किया जावे।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने सख्त सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

23. उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त पूर्व में न्यायिक अभिरक्षा में रहा हैं किन्तु अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, जिससे समाज में नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। अतः अभियुक्त की आयु, अवस्था व मादक पदार्थ की मात्रा को देखते हुए निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

अतः अभियुक्त महावीर पुत्र केसरीलाल, निवासी-ग्राम कोटा रोड इटावा, कोटा ग्रामीण जिला-कोटा(राज0) को धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने पर अभियुक्त को उक्त अपराध के लिये चार वर्ष के कठोर कारावास एवं पचास हजार रूपये (50,000/-) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा।

अभियुक्त द्वारा पूर्व में पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को भा.ना.सुं.सं. की धारा 468 के प्रावधानान्तर्गत मूल सजा में समायोजित किया जावे।

प्रकरण से सम्बन्धित फर्द प्रदर्श पी-1 के जरिये जब्त शुदा मादक पदार्थ गांजा (पूर्व में निस्तारित नहीं होने की स्थिति में) मय सेम्पल को अपील अवधि अवसान के छह माह पश्चात् अपील नहीं होने की सूरत में नारकोटिक्स

विभाग, कोटा को ड्रग डिस्पोजल कमेटी के माध्यम से नियमानुसार निस्तारण हेतु जमा कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अपील होने की स्थिति में अपील में पारित निर्देशानुसार निस्तारण किया जावे।

अभियुक्त महावीर का सजा वारण्ट मुर्तिब किया जावे।

न्यायाधीश,
विशिष्ट न्यायालय
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, बून्दी

24. निर्णय आज दिनांक 10 अप्रेल, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायाधीश,
विशिष्ट न्यायालय
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, बून्दी